न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–371 / 2026

असगर अली बनाम् बिहार सरकार

परिवाद वाद संख्या–200 / 2021

अंतर्गत धारा–498(A) भा0द0सं0।

04-04-2026 परिवाद वाद संख्या–200 / 2021, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498(A) में अभिरक्षाधीन आवेदक **असगर अली उम्र–37 वर्ष पेसर–स्व0 सैयद अली** साकिन–गुड़मिया, थाना–करताहॉ, जिला–वैशाली, जो दिनांक–09.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री नवनीत कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2161 / 2021 दाखिल किया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.09.2023 से अस्वीकृत किया गया है। उसके बाद आवेदक के तरफ से नियमित जमानत आवेदन सं0–387 / 2024 दाखिल किया गया जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–02.04.2024 से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आवेदक इस तथ्य का अंडरटेकिंग देगे कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ घर पर रखेगे। आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यगण परिवादिनी के साथ किसी प्रकार का दुर्यव्यवहार, उत्पीड़न एवं मारपीट नहीं करेंगे। साथ ही यह भी कि उसके लिए समुचित खान–पान, रहन–सहन की व्यवस्था करेंगे। मामले में दोनों जमानतदार आवेदक के निकट संबंधी होगे तथा आवेदक अपनी पत्नी के साथ अगले पांच तिथियों तक निम्न न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगे तथा पीड़िता अपनी खैरियत की रिपोर्ट करेगी।

परिवाद पत्र का संक्षिप्त मामला है कि, परिवादिनी की शादी दिनांक–17.04.2007 को असगर अली के साथ हुई थी। शादी के बाद परिवादिनी विदा होकर ससुराल गई जहां कुछ दिनों बाद परिवाद पत्र में नामित सभी अभियुक्तगण दहेज में दो लाख रूपया परिवादिनी को अपने माता–पिता से मांग कर लाने का कहने लगे। मना करने पर सभी अभियुक्तगण उसके साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच परिवादिनी से एक लड़की जन्म ली। परिवादिनी ने दिनांक–18.07.2020 को एक लिखित आवेदन अपने पति एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्व महिला थाना हाजीपुर में दी जिसमें महिला थाना ने दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दिया जिसमें परिवादिनी के पति लिखित रूप से आश्वासन दिया कि वह परिवादिनी को ठीक से रेखेगा और दहेज की मांग नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद से ही सभी अभियुक्तगण परिवादिनी एवं उसके बच्चा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। दिनांक–10.09.2020 को सभी अभियुक्तगण परिवादिनी को बेरहमी से मारपीट कर बच्चा के साथ दहेज न मिलने के कारण

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–371 / 2026

असगर अली बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.04.2026

उसका सारा स्त्रीधन रखकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद कई बार पंचायत हुई लेकिन अभियुक्तगण नहीं माने और परिवादिनी एवं उसके बच्चा का रखने से इंकार कर दिये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–09.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई है और न ही उसे दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक परिवादिनी के पति है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि दिनांक–24.11.2025 को आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु तिथि नियत थी और मो0 शमशेर नामक एक गवाह उपस्थित था, लेकिन आवेदक की उपस्थिति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका जमानत बंध–पत्र रद्द कर दी गई और आवेदक द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को अस्वीकृत कर उसे दिनांक–09.03.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि वास्तविकता यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना विचार किए आवेदक को जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि ओवदक ने जान–बुझकर या सोच–समझकर कोई गलती नहीं की है। आवेदक ने संबंधित अधिवक्ता लिपिक को पैरवी दी थी, लेकिन उसने पैरवी नहीं की। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व निर्गत अजमानतीय अधिपत्र के आधार पर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दिनांक–09.03.2026 को उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, तब से वह न्यायिक हिरासत में है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करने को तैयार है और न्यायालय के आदेशानुसार शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0–387 / 2024 में पारित आदेश दिनांक–02.04.2024 द्वारा नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त होने के बाद पहली तिथि दिनांक–16.04.2024 जो आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत थी, अनुपस्थित रहा। उसके बाद दिनांक–22.01.2025 से दिनांक–24.11.2025 तक लगतार नियत तिथि पर आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण तथा आरोप पूर्व साक्षी के उपस्थित रहने के कारण आवेदक का जमानत बंध–पत्र रद्द करते हुए उसके विरूद्व अजमानती

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–371/2026

असगर अली बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.04.2026 अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया जिसे कार्यालय द्वारा दिनांक–25.11.2025 को निर्गत किया गया। उसके बाद आवेदक को दिनांक–09.03.2026 को न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आलोक में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और आवेदक द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना की गई, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया और उसे दिनांक–23.03.2026 तक के लिए स्थानीय मंडल कारा, हाजीपुर प्रेषित किया गया। आज सुनवाई के क्रम में परिवादिनी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय उपस्थित है और ससुराल जाने से इंकार करती है और साथ ही कहती है कि जब उसका पति ही उसे मान–सम्मान नहीं देता तो वह अपने ससुराल क्यों जाएगी। यह मामला पारिवारिक विवाद का है। आवेदक दिनांक–09.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः आवेदक **असगर अली पेसर–स्व0 सैयद अली** को मो0 10,000/– की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक आरोप की तिथि व धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ब्यान के समय सदेह उपस्थित रहेगा तथा अन्य तिथियों पर सदेह अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। अग्रेतर विद्वान न्यायालय से अपक्षा की जाती है कि वह आवेदक अभियुक्त और परिवादिनी के मध्य सुलह समझौता कराने का सार्थक प्रयास करेगा। मामले में एक जमानतदार आवेदक के निकट संबंधी होंगे।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–371 / 2026

असगर अली बनाम् बिहार सरकार

आदेश पर नियत की तिथि	04.04.2026
आदेश की तिथि	04.04.2026
अपलोड करने की तिथि	06.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy not Official